राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

प्रेस विज्ञप्ति

अध्यापकों की काउंसलिंग में व्याप्त विसंगतियों पर शिक्षा सचिव ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को संगठन से वार्ता के निर्देश दिये

जयपुर, 26 मई 2016। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधी मण्डल ने माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की काउंसलिंग में व्याप्त विसंगतियों पर शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा सचिव ने निदेशक (मा.शि.) को दूरभाष पर निर्देशित किया कि संगठन से वार्ता कर सुझावों को प्रकिया में शामिल किया जावे।

प्रदेश महामंत्री देवलाल गोचर ने बताया कि वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में अधिशेष अध्यापकों के पदस्थापन की प्रकिया काउंसलिंग के माध्यम से हो रही है इस प्रकिया में अनेक विसंगतियों के कारण उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया है। संगठन ने मांग की कि पहले पदौन्नति की जावे फिर स्टाफिंग लागू किया जावे। अधिशेष अध्यापकों का निर्धारण एवं 6डी में अध्यापकों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया है। संगठन ने सुझाव दिया है कि वरियता सूची में दिव्यांग व आश्रित दिव्यांग, गम्भीर रोग में कैंसर तथा ब्रेन ट्यूमर के अतिरिक्त किडनी प्रत्यारोपण, ह्रदय रोग व अन्य गम्भीर रोग से ग्रसित पति/पत्नि व पुत्र–पुत्री वाले अध्यापकों, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, सामान्य महिलाओं को वरियता देते हुए अध्यापकों का वर्ष–वार वरियता सूची तैयार कर वरियता का प्रावधान होना चाहिए। संगठन ने सुझाव दिया कि वरियता सूचियों में शिक्षकों की नियुक्ति तिथि का उल्लेख होना चाहिऐ जिससे सूचियों में हेराफेरी से बचा जा सकता है। इस पर शिक्षा सचिव ने निदेशक (मा.शि.) को निर्देश जारी किए। सेवानिवृत्त में एक वर्ष से कम अवधि के शिक्षकों को इस प्रकिया से मुक्त रखा जाना चाहिए, साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को वरियता दी जानी चाहिऐ।

संरक्षक राजनारायण शर्मा ने मांग की कि चयनित वेतनमान के प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय व संभाग स्तर पर विशेष अभियान चलाकर किया जाना चाहिए। अंशदायी पेंशन योजना की राशि को संबंधित शिक्षकों के खातें में जमा कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रतिनिधी मण्डल में उपाध्यक्ष बंसत जिंदल, कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, सचिव (प्राथमिक) चन्द्रप्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे।

भवदीय

(देवलाल गोचर)

महामंत्री